न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक    ।१३ पुनरीक्षण

भजनलाल पुत्र गज्जू कुशवाह,
निवासी ओरछा, जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
--- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन    ---- अनावेदक.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २१-११-१२ पारित द्वारा अपर कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म०प्र० के प्रकरण क्रमांक २९०।निगरानी। १०-११ वउनवान भजनलाल बनाम म०प्र० शासन ।

--------

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक २९९।३ स्थित ग्राम ओरछा तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़ जो कि आवेदक के पूर्वजों के समय से आवेदक भूमि पर निरन्तर काविज होकर कृषि कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता चला आ रहा है एवं शासकीय अभिलेख में दर्ज है ।

(ब) यहकि, तहसीलदार ओरछा द्वारा उक्त विवादित भूमि का सीमांकन आवेदक की जानकारी के विना आवेदक को सीमांकन की सूचना दिए विना, बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक ८०अ-१२। ०७-०८ पंजीबद्ध कर एकपक्षीय सीमांकन आवेदक को सूचना सुनवाई का अवसर दिए विना आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय सीमांकन कार्यवाही की जाकर, एकपक्षीय आवेदक के पीठ पीछे ... ध, ... किए

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21.11.2017 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित।<br>आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रकरण नोटप्रेस में समाप्त कर दिया जाए। अनावेदक शासन के अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।<br>प्रशासकीय सदस्य | |